भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफोन–2326696

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 365 / 2008 / एफ0सी0 / 2060

दिनांक: 07.12.2010

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः जनपद देहरादून मे जन्तनवाला–झाड़ीवाला–हल्दूवाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण तथा धोबाखाला नदी पर स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.35 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1339 / 1जी–2504 (देहरादून) दिंनाक 23.11.2010

महोदय,

उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक–1487 / 1जी–2504 (देहरादून), दिनांक–17.12.2008 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.05.2010 द्वारा प्रस्ताव में सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या में शर्त संख्या 1 का अनुपालन पूर्ण नही किया गया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई0 ए0 944 एवं 800 में स्वीकृत हैं तथा इन्ही सिद्धान्तों के अनुसार प्रस्ताव पारित करने का निर्देश है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 11–177 / 2010–एफ0सी0, दिनांक 03.08.2010 द्वारा 6 माह के अन्दर अर्थात् दिनांक 02.02.2011 संरक्षित वन अधिसूचित करने की सीमा निर्धारित की गयी है। अतः केन्द्र सरकार जनपद देहरादून मे जन्तनवाला – झाड़ीवाला – हल्दूवाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौडीकरण तथा धोबाखाला नदी पर स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.35 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन एवं 25 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. **प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 2.70 हे0 गल्जवाड़ी सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पॉच वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.70 हे0 गल्जवाड़ी सिविल सोयम वन भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु इसे वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशानिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित व नामान्तरित कर दिया गया है। इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर संरक्षित वन घोषित किया जायेगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।**
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं पांच वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससें निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आप पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
10. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
11. प्रस्ताव में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में से शर्त संख्या–5 को विलुप्त किया जाता है।
12. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

भवदीय,

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति0 वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–03.
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि संर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. आदेश पत्रावली ।

(वाई0 के0 सिंह चौहान)
वन संरक्षक(के.)

(42)

संख्याः–जी0आई0:– 2481 /7–1–2011–600(2894)/2008.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 06 जनवरी, 2011.

विषयः– जनपद–देहरादून में जन्तनवाला–झाड़ीवाला–हल्दूवाला मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण तथा धोवाखाला नदी पर स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.35 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1710/1जी–3213 (दे0दून) दिनांक 06–01–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–देहरादून में जन्तनवाला–झाड़ीवाला हल्दूवाला मार्ग का पुनः निर्माण एवं चौड़ीकरण तथा धोवाखाला नदी पर स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.35 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/365/2008/एफ.सी./2060 दिनांक 07–12–2010 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा चिन्हित 2.70 हे0 गल्जवाड़ी अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 3.2(I) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–177/2010–एफसी दिनांक 3–8–2010, जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 5–7–2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, उस बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के संगत प्राविधानों के तहत वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इस भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. **प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।**
10. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।**
11. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।**
12. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।**
13. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।**
14. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।**
15. **निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक–हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।**
16. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।**
17. **प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।**
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु मक डम्पिंग स्थलों को चयनित कर चिन्हित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा। मक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0 वि0 दि0–4–1–2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः ए–2–75/दस–77–14(4)/74 दिनांक 3–2–1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

(40)

संख्याः–जी0आई0:– 2481 /7–1–2011–600(2894)/2008 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।